नगर निगम, कानपुर

जोन–6 पार्किंग संचालन हेतु आर0एफ0पी0

1– ई–निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समयः–

1. निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि 07.02.2026
2. निविदा भरे जाने की अन्तिम तिथि 28.02.2026 समय अपरान्ह 03:00 बजे तक।
3. तकनीकी निविदा सम्बन्धी दस्तावेज जमा करने की तिथि 28.02.2026 की सांय 04:00 बजे तक।
4. तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि 28.02.2026 समय सायं 04:00 बजे।

2– निविदा सम्बन्धी विवरणः–

1– नगर निगम, कानपुर द्वारा पार्किंग हेतु निर्धारित दरें निम्नवत् हैः–

नगर निगम	दो घण्टे के लिए (रूपये में)		कमवार एक घण्टे के लिए (रूपये में)		24 घण्टे (रूपये में)		मासिक मास (रूपये में)	
	दो पहिया	चार पहिया	दो पहिया	चार पहिया	दो पहिया	चार पहिया	दो पहिया	चार पहिया
एक लाख ओर उससे अधिक जन संख्या वाले	15	30	7	15	57	120	855	1800

2– नगर निगम कानपुर अथवा किसी भी अर्द्ध सरकारी/सरकारी विभाग के ब्लैकलिस्ट/डिफाल्टर व बकायेदार ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग करने के पात्र नहीं होंगे।

3– पार्किंग स्टैण्ड पर सफल निविदादाताओं को नगर निगम कानपुर द्वारा निर्धारित दरों को 1 मीटर × 0.75 मीटर के 2 बोर्ड अपने व्यय पर जनता के सूचनार्थ लगाने होगें। उक्त बोर्ड को अनुबन्ध अवधि तक अनुरक्षित रखा जाएगा।

4– पार्किंग अनुबन्ध/कार्यादेश की तिथि से पांच वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदादाता द्वारा नगर निगम की शर्तानुसार सकुशल एवं सन्तोषजनक पार्किंग संचालन किए जाने की दशा में पार्किंग की अवधि 1 वर्ष के लिए बढायी जा सकती है। संतोषजनक पार्किंग संचालन न होने की दशा में अनुबन्ध की अवधि के मध्य ही निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

5– सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत निविदा की धनराशि के 4 प्रतिशत निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध–पत्र भरना अनिवार्य होगा।

6– निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त करने एवं उसकी जमानत धनराशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर के पास सुरक्षित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

7– वाहन पार्क किये जाने वाले स्थल के सम्बन्ध में दो टू–ह्वीलर वाहन बराबर एक फोर–ह्वीलर वाहन के लिए स्थल समझा जायेगा।

3. निविदा हेतु पात्रता/अर्हताः–

1– निविदा हेतु जमानती धनराशि के रूप में पार्किंग स्थल हेतु निर्धारित आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/– का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/– का एफ0डी0/डी0डी0आर0 मुख्य वित्त एंव लेखाधिकारी, नगर निगम कानपुर के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसको तकनीकी निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– निविदादाता के पास पैनकार्ड, जी०एस०टी० पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

3– निविदादाता को भारतवर्ष में किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/निगमों/ प्राधिकरणों में कोई धनराशि वसूली हेतु बकाया नहीं है तथा पार्किंग संचालन कार्य हेतु डिफाल्टर एवं ब्लैक लिस्ट न होने, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा/अभियोग भारत के किसी भी न्यायालय में पंजीकृत न होने सम्बन्धी रू0–100 के स्टॉम्प पेपर पर कमशः पृथक–पृथक शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– निविदादाता को 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसका कोई निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार नगर निगम कानपुर में सेवारत नहीं है।

5– निविदादाता फर्म का विगत तीन वर्ष का औसतन टर्न ओवर वर्ष (2022–23, 2023–24 व 2024–25) का रू0 1,72,53,000/– से न्यूनतम न हो तथा तीन वर्ष का नेटवर्थ सकारात्मक होना अनिवार्य होगा।

6– निविदादाता फर्म द्वारा असिसमेन्ट वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 तीन वर्ष का आयकर रिटर्न, बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– नेटवर्किंग एवं निविदा की वेबसाईट पर तकनीकी गडबडी आदि के कारण ई–निविदा में भाग लेने में निविदादाता द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी कठिनाई के लिए नगर निगम कानपुर जिम्मेदार नहीं होगा।

8– आर0 एफ0 पी0 की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. निविदा प्रकिया एवं निर्देशनः–

प्रकिया–

1– द्वि–स्तरीय ई–निविदा प्रक्रिया (तकनीकी एवं वित्तीय) अपनाई जायेगी।

तकनीकी निविदा प्रक्रियाः–

(i) निविदादाता को ब्लैक लिस्ट, मुकदमा और बकायेदार न होने तथा निकट रिश्तेदार का नगर निगम में कार्यरत न होने सम्बन्धित शपथ–पत्र पृथक–पृथक रू.–100 के स्टैम्प पेपर पर मूल रूप से निविदा भरने की तिथि से पूर्व पार्किंग विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) निविदादाता को ई–निविदा के साथ निविदा–प्रपत्र के मूल्य (10000+18%GST=11800.00) की धनराशि नगर निगम, कानपुर के **H.D.F.C. BANK-CIVIL LINES KANPUR, A/C NO. 1271000237228, IFSC CODE-HDFC0000127 NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा कर, जमा रसीद की प्रति पार्किंग संचालन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित/सत्यापन कर संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा शुल्क (टेण्डर फीस) किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(iii) निविदादाता को प्रतिभाग किये जाने वाले पार्किंग स्थल (चयनित निविदा/पार्किंग स्थल) हेतु आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/– का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/– का भुगतान नगर निगम, कानपुर के **H.D.F.C. BANK-CIVIL LINES KANPUR, A/C NO. 1271000237228, IFSC CODE-HDFC0000127 NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) निविदादाता को पार्किंग संचालन हेतु निविदा प्रपत्र के साथ तकनीकी निविदा में वांछित अन्य समस्त अभिलेखों की स्कैन कॉपी वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जानी अनिवार्य होगी जिनके आधार पर निविदा समिति द्वारा निविदादाता की तकनीकी अर्हता का मूल्यांकन किया जायेगा।

(v) निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ चैकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्ण अभिलेखों के निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) वित्तीय निविदा–

(i) तकनीकी निविदा में सफल पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

3– निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निविदा को स्थगित करना या निविदा को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर में निहित होगा। इसके विरूद्ध किसी भी निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में वाद दाखिल नहीं किया जायेगा।

निर्देशनः–

1– किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र सिविल न्यायालय कानपुर होगा।

2– निविदादाता द्वारा भुगतान, जुर्माना तथा नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

5– स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें:–

1– क्लोज सर्किट टेलीवीजन निगरानी कैमरे, डिजिटल साइनेज, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, हैण्ड हेल्ड युक्ति, फास्टैग और अन्य भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, मोबाइल एप्लीकेशन, एनालिटिक्स के साथ पार्किंग सेंसर/कैमरा, एकीकृत नियंत्रण और कमान केन्द्र (आई०सी०सी०सी०/इंटलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस)/सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) नियंत्रण आदि के साथ एकीकरण के उपबंधो के साथ पार्किंग कार्ड युक्त स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, नये पार्किंग स्थान और विद्यमान पार्किंग स्थान का प्रचालन/संचालन, अनुरक्षण, और प्रबन्धन आवंटित संस्था द्वारा स्वयं कराया जाएगा।

2– निविदादाता द्वारा इलैक्ट्रॉनिक पी०ओ०एस० मशीन, क्यू–आर कोड, फास्टैग, यू०पी०आई, एप्लीकेशन के माध्यम से ही पार्किंग शुल्क वसूल करना अनिवार्य होगा। उक्त के आधार पर पार्क किये गये वाहनों की संख्या का संकलित विवरण नगर निगम कानपुर के पार्किंग विभाग को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3– नगर निगम की वर्तमान में संचालित पार्किंग स्थल व उसमें लगे उपकरणों जैसे–लिफ्ट/एक्झास्ट/अन्य विद्युत उपकरण तथा फायर सेफ्टी यंत्र वर्तमान में जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में निविदा आमंत्रित की जा रही है/निविदा स्वीकृत की जायेगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदादाता को उक्त उपकरणों को मानक के अनुसार संचालित किये जाने की स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। इसमें आने वाले व्यय को निविदादाता द्वारा स्वयं अपने स्तर से ही वहन कराना होगा। इसमें नगर निगम कोई धन व्यय नहीं करेगा।

4– पार्किंग स्थलों में लगे फायर सेफ्टी यंत्र को प्रतिदिन कार्य करने की स्थिति में ठीक रखना होगा तथा समय–समय पर फायर विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5– पार्किंग स्थल पर सी०सी०टी०वी० कैमरे, साफ सफाई, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी, यदि पार्किंग क्षेत्र में गन्दगी पायी जाती है और नगर निगम द्वारा सफाई आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसमें आने वाले व्यय को निविदादाता को ही वहन करना होगा।

6– पार्किंग में पार्क गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आवंटी निविदादाता की होगी। निविदादाता और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के वाद/विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा। वाहन तथा उसमें लगी एसेसरीज के खोने/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व आवंटी निविदादाता का ही होगा।

7– संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसका उत्तरदायित्व पार्किंग संचालक का होगा।

8– पार्किंग स्थल पर लगाये गये उपकरणों एवं भवन का रखरखाव/मरम्मत/सफाई आदि का कार्य आवंटी निविदादाता का ही होगा।

9– निविदादाता तथा उनके द्वारा नियुक्त कार्मिकों द्वारा पार्किंग क्षेत्र में अभद्र व्यवहार किए जाने, पार्किंग कर्मियों द्वारा परिचय पत्र (ID Card) न लगाये जाने तथा नगर निगम कानपुर द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की दरों से अधिक की वसूली की शिकायत पाए जाने अथवा अन्य किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर निविदादाता से निविदा धनराशि दस लाख रू० तक की स्वीकृत पार्किंग स्थल से रू0–25000/ तथा निविदा धनराशि से दस लाख रू० से अधिक की स्वीकृत पार्किंग स्थल से रू0 50000/ अथवा निविदा का दस प्रतिशत जो भी अधिक हो, का जुर्माना वसूल किया जायेगा। नियम एवं शर्तों का पुनः उल्लंघन होने पर पार्किंग निविदा को निरस्त कर जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

10– सफल निविदादाता मा० न्यायमूर्ति/मा० न्यायाधीशगण, मा० सांसदगण, मा० विधायकगण, मा० महापौर, मा० पार्षदगणों (प्रति पार्षद (एक वाहन) जो नगर निगम समिति विभाग में दर्ज हो), राजकीय वाहनों तथा नगर निगम, के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार जो नगर निगम, कानपुर बीट देखता हो, के एक पंजीकृत वाहन से पार्किंग शुल्क वसूल नहीं करेगा।

11– किसी भी पार्किंग स्थल पर वी०आई०पी० कार्यक्रम के दौरान निविदादाता को पार्किंग कार्य स्थगित रखनी होगी, इसके लिए नगर आयुक्त के पास पार्किंग जगह को पार्किंग या किसी अन्य उपयोग के लिए एक वर्ष में सामान्यतः 5 पृथक या निरन्तर दिनों के लिए मुक्त रखने का अधिकार होगा, साथ ही नगर आयुक्त के पास जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देश/अनुमोदन से आकस्मिक परिस्थितियों जैसे अप्रत्याशित घटना के मामले में पार्किंग जगह को मुक्त रखने का अधिकार होगा।

12– पार्किंग स्थल से वाहन चोरी की दशा में वाहन मालिक कन्जयूमर फोरम में वाद दायर कर सकता है तथा कन्जयूमर फोरम द्वारा लिया निर्णय ही निविदादाता को मान्य होगा।

13– पार्किंग स्थल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) व अन्य मा० न्यायालयों के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

14– यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर निविदादाता को कोई क्षति होती है तो नगर निगम, कानपुर द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

15– पार्किंग में वाहन अस्त व्यस्त तरीके से पार्क किए जाने एवं पार्किंग में गन्दगी पाये जाने पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

16– सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग में लगाये गये कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में कार्य करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

17– निविदादाता द्वारा बीच में पार्किंग कार्य छोड़ने अथवा निविदा की शर्त को भंग किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा को अन्य किसी भी एजेन्सी/फर्म को दे दिया जायेगा तथा विभाग को जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

18– निविदादाता द्वारा आवंटित पार्किंग स्थल का उपयोग वाहनों को पार्क किये जाने हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा। वाहनों को पार्क किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में लाने से पूर्व नगर निगम कानपुर के सक्षम स्तर से स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा शर्तों के उल्लंघन के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा जुर्माना/निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

19–आवंटित/प्रदान की गयी निविदा/लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा और न ही उपकिरायेदारी की जा सकेगी। संज्ञान में आने पर नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

20–उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली 2025 के सभी उपबन्धों का अनुपालन निविदादाता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी बिन्दु पर उक्त नियमावली और निविदा शर्त में भिन्नता पायी जाती है तो उक्त नियमावली के उपबन्ध ही सर्वमान्य होंगे।

21– पार्किंग स्थल पर पार्किंग जगह के ई०सी०एस० के न्यूनतम 20 प्रतिशत का उपबंध विद्युत यानों की चार्जिंग के लिए सुनिश्चित किया जायेगा।

22– निविदा के नियम व शर्तो के अलावा नगर निगम द्वारा उ०प्र० नगर निगम (पार्किंग स्थल का सन्निर्माण अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2025 एवं शासनादेशों का समय–समय पर निविदादाता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6– <u>निविदा शुल्कः–</u>

1– निविदादाता को ई–निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य (10000+18%GST=11800.00) की धनराशि नगर निगम, कानपुर के **H.D.F.C. BANK-CIVIL LINES KANPUR, A/C NO. 1271000237228, IFSC CODE-HDFC0000127 NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा किया जायेगा।

7– <u>निविदा विधिः–</u>

इच्छुक निविदादाताओं से द्वि–स्तरीय ई–निविदा आमंत्रित है (तकनीकी एवं वित्तीय)

क– तकनीकी प्रस्ताव/निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथपत्र/धरोहर राशि/टेन्डर फीस मूल रूप से नगर निगम के पार्किंग अनुभाग कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।

ख – तकनीकी निविदा में सफल पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

8– <u>तकनीकी निविदा दस्तावेज विवरणः–</u>

1– निविदादाता द्वारा जिस किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगमों/प्राधिकरणों/स्वायत्त सेवी संस्थाओं/विभाग में पार्किंग सम्बन्धी कार्य किया गया हो उस विभाग से पार्किंग सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2– तकनीकी निविदा में निविदादाता को निविदा के साथ रू0 50 लाख का वैध हैसियत प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो, को स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– तकनीकी निविदा में निविदादाता को असिसमेन्ट वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तीन वर्ष के आई०टी०आर० की प्रति को स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

4– तकनीकी निविदा में निविदादाता को स्वंय का अथवा फर्म का पैनकार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेन्स अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5– तकनीकी निविदा में निविदादाता को स्वयं का अथवा फर्म का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6– निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र–प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित/प्रमाणित छायाप्रति।

7– निविदादाता फर्म/व्यक्ति को उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा भारत के किसी भी न्यायालय में न होने तथा भारत वर्ष के किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/निगमों/प्राधिकरणों में पार्किंग संचालन कार्य हेतु डिफाल्टर, बकायेदार/ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी रू0–100 के स्टॉम्प पर क्रमशः पृथक–पृथक शपथ पत्र तैयार करते हुए स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8– निविदादाता को निविदा की आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/– का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/– आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से नगर निगम कोष में धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि जमा रसीद की स्कैन कापी ई–निविदा पोर्टल पर निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा जो कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम कानपुर के नाम बन्धक होगी।

9– निविदादाता को निविदा शुल्क जमा की प्रति ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/– का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/– का भुगतान नगर निगम, कानपुर के **H.D.F.C. BANK-CIVIL LINES KANPUR, A/C NO. 1271000237228, IFSC CODE-HDFC0000127 NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा। ई–निविदा पोर्टल पर अपलोडेड निविदा प्रपत्रों की कापी अंतिम तिथि के सायं 4:00 बजे से पूर्व नगर निगम, कानपुर के प्रभारी अधिकारी (पार्किंग) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक दस्तावेज मूल रूप में जमा न होने की दशा में निविदादाता की निविदा को असफल माना जायेगा।

9– <u>वित्तीय प्रस्तावः–</u>

1. ई–निविदा प्रक्रिया में पोर्टल पर उपलब्ध बी०ओ०क्यू० के अनुसार दरें प्रस्तुत की जाएंगी।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
3. ई० निविदा प्रक्रिया में उच्चतम दरों के आधार पर निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा।

10– <u>वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरणः–</u>

1. नगर निगम कानपुर द्वारा पार्किंग स्थानों हेतु निर्धारित न्यूनतम आरक्षित धनराशि से अधिक वित्तीय निविदा अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी।
2. उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/– का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/– का एफ0डी0/डी0डी0आर0 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पक्ष में जमा करना होगा। उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा 50% उच्चतम बोली की धनराशि अनुबन्ध के समय पहले 06 माह के लिए नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अगले 6 माह के पहले नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त ही असफल निविदादाता द्वारा नगर निगम कोष में जमा कराई गई आरक्षित न्यूनतम धनराशि (निविदा शुल्क को छोडकर) वापसी की कार्यवाही प्रचालित होगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व असफल निविदादाता द्वारा धनराशि वापसी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा निविदा लागत की धनराशि का 5% जमानत धनराशि (परफार्मेन्स बैंक गारण्टी) अनुबन्ध के साथ नगर निगम,कानपुर के **H.D.F.C. BANK-CIVIL LINES KANPUR, A/C NO. 1271000237228, IFSC CODE-HDFC0000127 NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. चयनित निविदादाता को पार्किंग संचालन हेतु वार्षिक स्वीकृत धनराशि में प्रत्येक वर्ष कमशः 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित धनराशि (5 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त) का 50

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिशत मार्च माह के अन्त में जमा करने के उपरान्त ही अगले वित्तीय वर्ष हेतु निविदा का नवीनीकरण किया जायेगा, तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि प्रचलित वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह के अन्त तक जमा करना अनिवार्य होगा।

6. चयनित निविदादाता की निविदा 5 वर्ष के सन्तोषजनक संचालन के उपरान्त 1 वर्ष के लिये विस्तारित की जा सकती है।

7. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की धरोहर के रूप में दी गयी धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

8. भविष्य में यदि शासन द्वारा पार्किंग के सम्बन्ध में कोई अन्य कर (जी०एस०टी०, आयकर इत्यादि) निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा। निविदा की अवधि में शासन/नगर निगम, कानपुर एवं मा० न्यायालयों आदि के द्वारा लगाये गये अतिरिक्त कर/शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा।

9. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर 4×2 फुट अथवा 4×3 फुट के कम से कम दो सूचना पट मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाया जायेगा, जिस पर निविदादाता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा रू0 10,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया जायेगा।

10. निविदादाता को 5 वर्ष की पार्किंग का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने अथवा टेण्डर निविदा का समय पूर्ण होने के 6 माह पश्चात जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

11. मल्टीलेबिल/भूमिगत व अन्य पार्किंग के निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह पार्किंग स्थल से सम्बन्धित विद्युत बिल, एवं अन्य देयों का स्वयं भुगतान करके बिल की प्रति पार्किंग विभाग में उपलब्ध करायेगा। पार्किंग स्थल पर लगे विद्युत उपकरणों एवं अन्य उपकरणों का रख-रखाव/मरम्मत आदि निविदादाता द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

12. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर अस्थाई रूप से शेड, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करायी जायेगी।

13. पार्किंग स्थल पर कोई भी निर्माण स्थायी रूप से नही किया जायेगा।

14. सफल निविदादाता को नगर निगम पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन करने का अधिकार नही होगा, विज्ञापन पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाने या निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर में निहित होगा।

15. भविष्य में पार्किंग स्थलों पर यदि कोई बदलाव होगा तो वह नगर निगम कानपुर द्वारा किया जोयगा।

16. नगर निगम कानपुर पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए अधिकृत होगा।

17. पार्किंग से सम्बन्धित नवीनतम शासनादेश/नियमावली के समस्त प्राविधान का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

18. निविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा (यदि कोई हो)।

19. निविदादाता को स्वीकृत निविदा धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध-पत्र गठित करना अनिवार्य होगा।

20. सफल निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति उपरान्त निर्धारित स्टाम्प शुल्क तथा जमानत धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराये जाने के बाद ही विभाग द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेंगा।

21. निविदादाता को स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष निविदा आवंटन पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि (दिनांक 31.03.2026) तक की धनराशि जमा उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

22. निविदादाता को पार्किंग चलाने हेतु कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत **जोन-6 अन्तर्गत दो पहिया 258 चार पहिया 84** वाहनो के रख-रखाव के संचालन का समान अनुभव (Similar Experience) की आवश्यकता होगी जिस हेतु कम से कम एक वर्ष का पूर्व में किये गये कार्यो की प्रमाणित कार्यादेश, प्राप्त भुगतान का आदेश व संस्था द्वारा दिया गया (Completion Certificate) देना होगा।

11- <u>पेनाल्टीः-</u>

1. निविदादाता द्वारा बकाया पार्किंग की धनराशि निर्धारित समयावधि तक जमा न करने की स्थिति में निविदादाता को 1 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज पृथक रूप से देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी अन्य को सबलेट किया जायेगा। ऐसा करने पर प्रति बार रू0 50000.00 की पेनाल्टी लगाने के साथ–साथ निविदा निरस्त करने की कार्यवाही भी की जायेगी।

3. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर पार्किंग की स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदादाता को भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों के अंकन की पर्ची को ही प्रयोग में लाया जाना अनिवार्य होगा। बिना पर्ची के शुल्क लेने पर रू0 2000.00 प्रति वाहन जुर्माना एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किये जाने पर फर्म/निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

12– **विवाद की स्थितिः–**

1. फर्म तथा नगर निगम के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा नगर निगम स्तर पर किया जायेगा।

2. किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र न्यायालय नगर निगम सीमान्तर्गत कानपुर होगा।

13– **निविदा स्वीकृति/अस्वीकृतिः–**

1. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने एवं जमानती धनराशि जब्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर के अधिकार क्षेत्र में निहित है, जो सर्वमान्य है।

14– **क्षतिपूर्तिः–**

1. किसी भी कारणवश वाहन चोरी/क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/जवाबदेही सफल निविदादाता फर्म/व्यक्ति की होगी।

2. निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।

15– **कार्यादेशः–**

1. यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध/कार्यादेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा सन्तोषजनक रूप से पार्किंग संचालित नहीं कर पाता है अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबन्ध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को काली सूची में भी डाला जा सकता है।

16– **कार्य अवधिः–**

1. शर्तों के अनुसार उक्त कार्य की अवधि 5 वर्ष की होगी परन्तु किसी भी नियम/शर्त का उल्लघंन पाए जाने अथवा संचालन व्यवस्थित रूप से न किए जाने की दशा में उक्त अवधि से पूर्व निविदा निरस्त किए जाने का अधिकार नगर आयुक्त कानपुर में निहित होगा।

17– **विलम्ब से प्राप्त निविदाः–**

1. विलम्ब से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

18– **ई0निविदा का प्रकाशनः–**

1. ई0निविदा सम्बन्धी सूचना नगर निगम की वेबसाइट kmc.up.nic.in पर भी उपलब्ध होगी।

2. ई0–निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में नगर निगम की वेबसाइट, ई–निविदा पोर्टल तथा समाचार पत्रों के माध्यम से शुद्धि पत्र प्रकाशित कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

19— चेकलिस्टः—

1. ई०—निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त निविदा में यदि कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तो उसका अनुपालन भी आवश्यक होगा।

20— प्रश्नगत निविदा प्रपत्र में वर्णित निविदा शब्दावली का तात्पर्य नीलामी समक्षा/ माना जाए।

जोन—6 पार्किंग स्थल का नाम
1. स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल के सामने (नवीन नगर काकादेव) 2.फार्चून हास्पिटल के सामने (गीता नगर) 3. विशाल मेगामार्ट के सामने (आवास विकास) 4. मेडी हेल्थ सेन्टर के सामने (सर्वोदय नगर) 5. कुलवंती हास्पिटल के सामने (अम्बेडकर नगर)

चेक लिस्ट

क्रम सं0	विवरण	हाँ/नहीं
1	वैध कम्पनी/फर्म का पंजीकरण	
2	निविदा शुल्क की धनराशि रू0 10000.00 का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त का ऑनलाइन (10000+18% GST=11800.00)	
3	रू0 50 लाख का वैध हैसियत प्रमाण—पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो।	
4	असिसमेन्ट वर्ष 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 तीन वित्तीय वर्ष की आई0टी0आर0 एवं बैलेन्स शीट संलगन करना अनिवार्य होगा।	
5	वैध पैन कार्ड, आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
6	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।	
7	वैध चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
8	निविदादाता द्वारा जिस किसी भी सरकारी अर्द्धसरकारी विभाग में पार्किंग सम्बन्धी यदि कार्य किया गया हो उस विभाग से पार्किंग सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।	
9	निविदादाता फर्म/व्यक्ति को उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा भारत के किसी भी न्यायालय में न होने तथा भारत वर्ष के किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/निगमों/प्राधिकरणों में पार्किंग संचालन कार्य हेतु डिफालटर/बकायेदार एवं ब्लैक लिस्ट नही। है इस आशय का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पृथक—पृथक संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
10	निविदादाता को भारतवर्ष में किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/निगमों/प्राधिकरणों में कोई धनराशि वसूली हेतु बकाया नहीं है इस आशय का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पृथक—पृथक संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
11	निविदादाता द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए आरक्षित धनराशि रू0 1,15,02,000/— का 5% जमानत धनराशि रू0 5,75,100/—जमा करना अनिवार्य होगा।	
12	निविदादाता द्वारा जोन—6 अन्तर्गत पार्किंग संचालन का समान अनुभव (Similar Experience) तथा (Completion Certificate) एवं अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।	
13	निविदादाता फर्म का विगत तीन वर्ष का औसतन टर्न ओवर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
14	आर0 एफ0 पी0 की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

चेकलिस्ट में उपरोक्त वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by VIJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.02.09 12:19:36 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner